सीकर एवं झुन्झुनू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि0, पलसाना।

क्रमांक :– सीदुसं/संस्था/ई–निविदा सूचना/2021/ 2457–58 दिनांक 1-10-2021

ई– निविदा संशोधन सूचना

इस कार्यालय की ई–निविदा सूचना क्रमांक सीदुसं/एमडी/ई–निविदा सूचना/2021/2376–84 दिनांक 24.09.2021 में डेयरी संयंत्र पलसाना एवं अधिनस्थ डेयरी प्लान्टों, उप केन्द्रो पर प्रोफेशनल/तकनिकी एवं जॉब बेसिस कार्यो हेतु ई–निविदा में निम्नानुसार संशोधन एवं शर्ते जोड़ी जाती है :–

1. पृष्ठ संख्या 15 के बिन्दु संख्या 05 में निविदा प्रपत्र के भाग ब (BOQ) वित्तीय निविदा में सम्बन्धित कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। दरें निर्धारित प्रपत्र में ही अपलोड किया जाना है। निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये भाग ब के नमूना प्रपत्र में दरें भरी हुई नही होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी। इसके स्थान पर पृष्ठ संख्या 15 के बिन्दु संख्या 05 में यह पढ़ा जावे कि निविदा प्रपत्र के भाग ब (BOQ) वित्तीय निविदा में सम्बन्धित कार्य हेतु निविदादाता द्वारा प्रस्तुत दरों का उल्लेख स्पष्ट रूप से अंकित करना आवश्यक होगा। दरें निर्धारित प्रपत्र में ही अपलोड किया जाना है। निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये भाग ब के नमूना प्रपत्र में दरें भरी हुई होने पर निविदा निरस्त कर दी जावेगी।
2. पृष्ठ संख्या 19 में शर्त संख्या 21 के पश्चात निम्न शर्त जोड़ी जाती है :–

   22. निविदादाता को सीकर संघ के डेयरी प्लान्ट पलसाना/बबई प्लान्ट (खेतड़ी/झुंझुनू) दुग्ध अवशीतन केन्द्र/इकाईयों/सरस पार्लर पर संचालित होने वाले दैनिक कार्य सम्पादित करवाने हेतु जॉबबेसिस कार्य/तकनीकी/प्रोफेशनल/अकुशल/अर्द्वकुशल/कुशल/उच्च कुशल तकनीकी कार्य के लिए योग्यताधारी श्रमिक/कार्मिक उपलब्ध करवाने होगें ।
   23. निविदादाता को राजस्थान सरकार वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ.2(1)वित/एसपीएफसी/2017 जयपुर दिनांक 30.4.2018 संख्या 1/2018 के द्वारा जारी समस्त निर्देशो की पालना करनी होगी जिसमे परिपत्र की तालिका 1 के अनुसार क.सं. 1 से 6 तक के विभिन्न पंजीकरण इत्यादि की पूर्ति करनी होगी । तालिका (ii) जॉबबेसिस पर सेवाओ के उपापन के लिए निविदा में दरें प्रस्तुत करते समय तालिका में अंकित अकुशल/अर्द्वकुशल/कुशल/उच्च कुशल को देय न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ दर प्रतिशत, ईएसआई दर प्रतिशत इत्यादि के प्रावधानो की पालना पूर्ति राज्य सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी व पीएफ/ईएसआई प्रतिशत की राशियां जोड़कर निविदादाता सामग्री राशि/उपकरण किराया एवं सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज राशि आदि समस्त जोड़कर वैधानिक प्रावधानो की पालना करते हुए दरें प्रस्तुत करनी होगी। तालिका संख्या (iii) संवेदक के माध्यम से सेवाओं के उपापन के लिए प्रस्तुत दरों मे भी तालिका में क.सं. 3 पर अंकित अकुशल/अर्द्वकुशल/कुशल/उच्च कुशल को देय न्यूनतम मजदूरी, ईपीएफ दर प्रतिशत, ईएसआई दर प्रतिशत इत्यादि के प्रावधानो की पालना पूर्ति राज्य सरकार के न्यूनतम मजदूरी अधिनियम अन्तर्गत निर्धारित न्यूनतम मजदूरी व पीएफ/ईएसआई प्रतिशत की राशियां जोड़कर निविदादाता सामग्री राशि/उपकरण किराया एवं सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज राशि आदि समस्त जोड़कर वैधानिक प्रावधानो की पालना करते हुए दरें प्रस्तुत करनी होगी।राज्य सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी अधिनियम की समस्त पालना नियमानुसार समय पर करने का दायित्व स्वंय निविदादाता का होगा । इसके लिए स्पष्ट

निर्देश है कि राज्य सरकार के उक्त परिपत्र अनुसार प्रस्तुत दरों मे न्यूनतम मजदूरी की दरें, ईपीएफ दर प्रतिशत, ईएसआई दर प्रतिशत आदि वैधानिक प्रावधानो की पूर्ति को आवश्यक मानते हुए सामग्री राशि/उपकरण किराया व सेवाप्रदाता का सर्विस चार्ज जोड़कर दरें प्रस्तुत की जावे व आदेशो के अनुसार न्यूनतम मजदूरी की पालना संविदादाता द्वारा सुनिश्चित की जावेगी ।

24. क.सं. 1 से 23 तक की शर्ते निविदादाता द्वारा पढ़ी/समझी जाकर सहमत होने पर निविदा प्रस्तुत करनी होगी । शर्ते स्वीकार करने की सहमति स्वरूप निविदादाता द्वारा प्रत्येक पृष्ठ पर अपने हस्ताक्षर किये जायेगे तभी निविदा प्रस्तुत करने हेतु पात्र होगा ।

3. पृष्ठ संख्या 28 के हेडिंग में वित्तीय निविदाए जिनमे कार्य सम्पादन करने हेतु दरें प्रस्तुत करनी है। इसके स्थान पर पृष्ठ संख्या 28 के हेडिंग में यह पढा जावें कि **वित्तीय निविदाए जिनमें जॉबबेसिस कार्य सम्पादन करने हेतु दरें प्रस्तुत करनी है।**

4. पृष्ठ संख्या 29, 30 व 31 के हेडिंग में वित्तीय निविदाए जिनमे कार्य सम्पादन करने हेतु दरें प्रस्तुत करनी है। इसके स्थान पर पृष्ठ संख्या 29, 30 व 31 के हेडिंग में यह पढा जावें कि **वित्तीय निविदाए जिनमें मैनपावर से कार्य सम्पादन करने हेतु दरें प्रस्तुत करनी है।**

प्रबन्ध संचालक